

अध्याय-ग्यारह : निर्धन अभियुक्त की प्रतिरक्षा

कतिपय मामलों में राज्य के व्यय पर अभियुक्त को विधिक सहायता

155. राज्य के व्यय पर निर्धन अभियुक्त व्यक्तियों की प्रतिरक्षा.—(1) उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अभियुक्तों को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता नियम, 1976 बनाये हैं. उक्त नियम, जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 304 अधीन बनाया गया है, नीचे उद्धृत किए जाते हैं :—

मध्यप्रदेश अभियुक्तों को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता नियम, 1976

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 304 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम.**—ये नियम मध्यप्रदेश अभियुक्तों को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता नियम, 1976 कहलाएंगे.

2. **परिभाषा.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “संहिता” से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2);

(ख) “तालिका” से अभिप्रेत है नियम 3 के अधीन बनाई गई प्लीडरों की तालिका;

(ग) “प्रतिनिधित्व रहित अभियुक्त” से अभिप्रेत है, ऐसा अभियुक्त, जिसका किसी सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विधि में प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया गया हो तथा जिसके पास प्लीडर को नियुक्त करने के लिए न्यायालय अनुसार पर्याप्त साधन न हो;

(घ) उन शब्दों और पदों के जो इनमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए संहिता में दिए गए हैं.

3. **प्लीडरों के चयन का ढंग.**—(1) संहिता की धारा 304 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायाधीश प्रत्येक दिसम्बर मास में प्लीडरों की एक तालिका निम्नलिखित रीति में तैयार करेगा :—

(एक) सेशन न्यायाधीश सूचना द्वारा ऐसी तारीख तक, जो कि उसके द्वारा इस संबंध में विहित की जाए, उपनियम (2) के अधीन पात्र व्यक्तियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा;

(दो) खण्ड (एक) के अधीन प्रत्येक आवेदन-पत्र में संहिता की धारा 304 की उपधारा (1) के अधीन विचारण में प्रतिनिधित्व रहित अभियुक्त की ओर से, यदि ऐसा करना अपेक्षित हो, नियम 5 के अधीन विहित फीस के मान पर प्लीडर के रूप में सेवा करने की आवेदक की रजामंदी अंतर्विष्ट होगी और उसके साथ उपनियम (3) के अधीन उसकी पात्रता के सम्बन्ध में दस्तावेज भी संलग्न होंगे;

(तीन) खण्ड (एक) के अधीन उसमें नियत की गई तारीख तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की, यह अभिनिश्चित करने की दृष्टि से कि आवेदक उपनियम (2) के अधीन पात्र है या नहीं, सेशन न्यायाधीश द्वारा छानबीन की जाएगी तथा वह उक्त उपनियम के अधीन पात्र आवेदकों की अंतिम सूची तैयार करेगा;

(चार) तत्पश्चात् सेशन न्यायाधीश, सेशन संभाग के जिला बार एसोसिएशन/एसोसिएशनों के अध्यक्ष/अध्यक्षों के परामर्श से खण्ड (तीन) के अधीन तैयार की गई अंतिम सूची में से प्लीडरों की ऐसी संख्या की, जैसा कि वह इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझे, एक तालिका तैयार करेगा;

(2) कोई व्यक्ति तालिका में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि—

(क) वह भारत का नागरिक न हो;

- (ख) (एक) उसने भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष के लिए कोई न्यायिक पद धारण न किया हो; या
 (दो) वह कम से कम पांच वर्ष के लिए प्लीडर न रहा हो; या
 (तीन) उसके प्लीडर तथा न्यायिक अधिकारी के रूप में अनुभव का योग कम से कम पांच वर्ष न हो।

(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई तालिका अगली जनवरी के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी तथा उसकी एक प्रति उसमें सम्मिलित प्लीडर को दी जाएगी।

4. **प्लीडर की नियुक्ति.**—(1) सेशन न्यायाधीश प्रतिनिधित्व रहित अभियुक्त की प्रतिरक्षा करने के लिए तालिका में से किसी अभिभाषक (प्लीडर) को चक्रानुक्रम से इस रीति में नियुक्त करेगा कि तालिका में सम्मिलित किया गया प्रत्येक प्लीडर यथासंभव अवसर प्राप्त करेगा :

परन्तु असाधारण परिस्थितियों के अधीन मामले की प्रकृति को देखते हुए यदि सेशन न्यायाधीश की यह राय हो कि अधिक महत्व तथा अनुभव वाले किसी प्लीडर को समनुदेशित करना वांछनीय है और ऐसा प्लीडर तालिका में सम्मिलित नहीं है तो वह ऐसे अन्य प्लीडर को, जिसे कि प्रतिनिधित्व रहित अभियुक्त की प्रतिरक्षा करने के लिए उचित समझे, नियुक्त कर सकेगा।

(2) यदि कोई प्रतिनिधित्व रहित अभियुक्त, तालिका के किसी विशिष्ट प्लीडर को नियुक्त किए जाने के बारे में कोई आपत्ति करता है और उसकी आपत्ति सेशन न्यायाधीश की राय में युक्तियुक्त है तो सेशन न्यायाधीश, तालिका के किसी अन्य प्लीडर को उस प्रतिनिधित्व रहित अभियुक्त की प्रतिरक्षा करने के लिए नामनिर्देशित कर सकेगा।

(3) यदि सेशन न्यायाधीश के समक्ष किसी विचारण में एक से अधिक अभियुक्त हो तथा उन सभी का सामान्य हित हो तो उसकी प्रतिरक्षा के लिए केवल एक प्लीडर नियुक्त किया जाएगा।

(4) यदि सेशन न्यायाधीश के समक्ष किसी विचारण में परस्पर विरोधी हित रखने वाले एक से अधिक अभियुक्त हों तो सामान्य हित रखने वाले ऐसे व्यक्तियों के प्रत्येक समूह के लिए एक प्लीडर नियुक्त किया जाएगा।

5. **फीस.**—नियम 4 के अधीन नियुक्त किया गया प्लीडर विचारण में जिस दिन वह हाजिर हो रुपये 30/- प्रतिदिन की दर से फीस प्राप्त करने का हकदार होगा तथा लोक अभियोजकों को फीस के संदाय की रीति को शासित करने वाले नियम इस नियम के अधीन फीस के संदाय के लिए लागू होंगे :

परन्तु नियम 4 के उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन नियुक्त किया गया प्लीडर विचारण में जिस दिन वह हाजिर हो रुपये 40/- प्रतिदिन की दर से फीस प्राप्त करने का हकदार होगा।

6. **प्लीडरों को सुविधाएं.**—नियम 4 के अधीन नियुक्त प्लीडर—

- (एक) उस अभिलेख की, जो प्रतिनिधित्व रहित अभियुक्त को, जिसकी वह प्रतिरक्षा करता है प्रदाय किया हो, एक प्रतिलिपि मुफ्त प्राप्त करने का हकदार होगा।
 (दो) न्यायालय के उन अभिलेखों को, जो उस विचारण से संबद्ध हों, जिसके लिए कि वह नियुक्त किया गया है, को मुफ्त निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

[मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 4(ग), दिनांक 1 फरवरी, 1980 में पृष्ठ 23-24 पर प्रकाशित]

(2) राज्य सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 304(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों को मजिस्ट्रीयल न्यायालयों में वारंट मामलों के संबंध में भी विस्तारित किया है. [देखिये अधिसूचना 17(ई)-118-81-इक्कीस-ब, दिनांक 12 नवम्बर, 1981.]

(3) यदि कोई निर्धन अभियुक्त, जिसका विचारण किसी समन मामले में किया जाने वाला है अपनी प्रतिरक्षा के लिए किसी वकील की सेवाएं लेने का इच्छुक है तो उसे विधिक सहायता तथा सलाह हेतु जिले के विधिक सहायता अधिकारी के पास पहुंचने का निदेश दिया जा सकेगा।

भाग-चार : सरकारी मुकदमेबाजी पर नियंत्रण

अध्याय-बारह : रिट याचिकाएं

अनुच्छेद 32 के अधीन याचिकाएं

156. संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन फाइल पर किए गए मामलों की प्रक्रिया.—(1) जब कभी संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में किसी याचिका की सूचना, सरकार के किसी विभाग द्वारा प्राप्त की जाती है तब वह विभाग तत्काल उसकी तथा उसके संलग्नकों की एक-एक प्रति के साथ उसे विधि विभाग को जानकारी के लिए पृष्ठांकित करेगा। उसी समय पर मामले के भारसाधक अधिकारी की नियुक्ति करेगा और ऐसी समस्त जानकारी तथा दस्तावेज, जो मामले के लिए महत्वपूर्ण हों, संग्रहीत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(2) जब विधि विभाग में संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन याचिका की सूचना प्राप्त की जाती है तो वह स्थायी सरकारी काउंसिल, दिल्ली को इस अनुदेश के साथ तथ्यों की सूचना देगा कि वह सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, यदि सूचना विधि विभाग में सीधे ही प्राप्त होती है तो वह उसे उसके संलग्नकों सहित सम्बद्ध विभाग को अग्रेषित करेगा, जो ऐसी समस्त जानकारी तथा दस्तावेज, जो मामले के लिए महत्वपूर्ण हों, संग्रहीत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(3) सम्बद्ध विभाग भारसाधक अधिकारी को स्थायी सरकारी काउंसिल से परामर्श करके विवरणी तथा शपथ-पत्र, अखिलंब तैयार करने के निदेश देगा और विवरणी तथा शपथ-पत्र की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति विधि विभाग को अग्रेषित करेगा। जटिल मामलों में सम्बद्ध विभाग स्थायी सरकारी काउंसिल, दिल्ली के उपयोग के लिए अनुदेशों की पृथक् टीप भी भेजेगा।

अनुच्छेद 226 के अधीन याचिकाएं

157. संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल किए गए मामलों में प्रक्रिया.—(1) जब कभी संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका की सूचना किसी अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है तो वह याचिका की विषय वस्तु के बारे में समस्त जानकारी के साथ उसे सरकार के सम्बद्ध विभाग को तुरंत अग्रेषित करेगा।

(2) सूचना प्राप्त होने पर सम्बद्ध विभाग सूचना प्राप्त होने की अभिस्वीकृति तुरंत उच्च न्यायालय को देगा तथा मामले का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करेगा।

स्पष्टीकरण.—नियम 156(1) तथा 157(2) में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति "भारसाधक अधिकारी" का वही अर्थ होगा, जो नियम 166 में, उसके लिए दिया गया है।

158. रिपोर्ट का तैयार किया जाना.—(1) भारसाधक अधिकारी, मामले के तथ्यों की तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरानुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि महाधिवक्ता को मामले के संचालन में सहायता मिलने की संभावना हो, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, यदि किसी भी प्रक्रम में विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो रिपोर्ट में विधि विभाग की राय भी विशेष रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) यदि रिट याचिका की विषय-वस्तु में एक से अधिक विभाग अन्तर्वलित होते हों तो वह विभाग, जो इसकी विषय-वस्तु से प्रत्यक्षतः तथा मुख्यतः सम्बद्ध है, अन्य विभागों से समस्त आवश्यक सामग्री संग्रहीत करेगा और ऐसे विभाग द्वारा नियुक्त भारसाधक अधिकारी तथ्यों की ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि आवश्यक हो, उपनियम (1) में निर्दिष्ट समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा।

159. विवरणियों तथा शपथ-पत्रों का तैयार किया जाना और फाइल किया जाना.—मामले से सुसंगत समस्त दस्तावेजों की सात सप्ताहों के साथ रिपोर्ट महाधिवक्ता को अग्रेषित की जाएगी, जो भारसाधक अधिकारी के परामर्श से उच्च न्यायालय में फाइल किए जाने के लिए विवरणी तैयार करेगा। कोई प्रति शपथ-पत्र जिसे महाधिवक्ता आवश्यक समझे, उसके द्वारा भारसाधक अधिकारी के अनुदेशों पर तैयार किया जाएगा और भारसाधक अधिकारी उसके संबंध में समुचित अधिकारी द्वारा शपथ लिये जाने के लिए व्यवस्था करेगा। भारसाधक अधिकारी, जब कभी आवश्यक हो, महाधिवक्ता को अनुदेश भी देगा।

160. प्रक्रिया, जब सरकारी कर्मचारी को पक्षकार बनाया हो.—(1) जब संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन किसी याचिका में विद्वान् अधिकारी को, न्यायिक या अर्द्धन्यायिक हैसियत में या प्रशासनिक हैसियत में, पक्षकार बनाया हो, तो ऐसा अधिकारी याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरानुसार उत्तर देते हुए एक विवरणी तैयार करेगा और उसे अपनी राय के साथ कि क्या उसकी ओर से महाधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना आवश्यक है, सम्बद्ध प्रशासनिक विभाग को भेजेगा. सामान्यतः सभी मामलों में महाधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं समझा जाएगा.

(2) यदि प्रशासनिक विभाग समझता है कि मामले में प्रतिवाद किया जाए, तो वह कागज पत्रों को महाधिवक्ता की ओर प्रेषित करने के लिए विधि विभाग को भेजेगा, जहां विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं समझा जाए वहां विधि विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता को तदनुसार सूचित किया जाएगा, और ऐसे मामले में उच्च न्यायालय में कोई भी विवरणी फाइल नहीं की जाएगी.

161. परिणाम सूचित करने का महाधिवक्ता का कर्तव्य.—मामले का विनिश्चय होते ही महाधिवक्ता भारसाधक अधिकारी को परिणामों की सूचना देगा और यदि विनिश्चय सरकार के प्रतिकूल है, तो वह अपनी इस राय के साथ कि क्या अपील फाइल की जानी चाहिए, भारसाधक अधिकारी को आदेश की प्रति भी अग्रेषित करेगा. भारसाधक अधिकारी महाधिवक्ता से प्राप्त समस्त जानकारी और कागज पत्र यदि कोई हो, सम्बद्ध विभाग को तुरन्त भेजेगा. यदि कोई अपील आवश्यक समझी जाए तो सम्बद्ध विभाग विधि विभाग के परामर्श से मामले में अतिशीघ्र विनिश्चय करेगा. यह ध्यानपूर्वक समझ लिया जाए कि यह देखना प्रशासनिक विभाग का उत्तरदायित्व है कि समय पर समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है.

अध्याय—तेरह—सरकार के विरुद्ध वाद तथा अन्य कार्यवाहियां

(क) वाद संस्थित करने के पूर्व की कार्यवाहियां

162. सूचना प्राप्ति के पूर्व विधिक सलाह.—यह अध्याय केवल नियम 166 में निर्दिष्ट सूचना प्राप्ति के पश्चात्पूर्व प्रक्रमों से संबंधित है। यदि सिविल प्रकृति का कोई विवाद चल रहा है किन्तु दावेदार ने अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी है, तो विभागीय अधिकारी अध्याय 4 में अधिकथित प्रक्रिया अपनाते हुए विधिक सलाह प्राप्त कर सकेगा।

163. सरकार के विरुद्ध वाद की पूर्व सूचना.—(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) की धारा 80 में यह उपबंध है कि सरकार के विरुद्ध या ऐसे कार्य के बाबत जिसके बारे में तात्पर्यित है कि वह किसी लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, लोक अधिकारी के विरुद्ध, कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक वाद हेतु, वादी के नाम, वर्णन और निवास स्थान का और जिस अनुतोष का वह दावा करता है उसका, कथन करने वाली लिखित सूचना—

(क) केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में, उस सरकार के सचिव को;

(ख) राज्य सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में, उस सरकार के सचिव को या जिले के कलेक्टर को;

परिदत्त किये जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के और लोक अधिकारी के विरुद्ध मामले की दशा में उसे परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात्, दो मास का अवसान न हो गया हो, वाद पत्र में यह कथन अन्तर्विष्ट होगा कि ऐसी सूचना इस प्रकार परिदत्त कर दी गई है या छोड़ दी गई है।

(2) तथापि सरकार के या लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई अत्यावश्यक तथा तुरंत अनुतोष अधिप्राप्त करने के लिए कोई वाद न्यायालय की इजाजत से, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 (2) के अधीन किसी सूचना की तामील किए बिना संस्थित किया जा सकेगा।

(3) अधिकारियों का ध्यान, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 की उपधारा (4) (मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1984 द्वारा अन्तः स्थापित) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्नानुसार है:—

“(4) जहां आदेश 1 के नियम 3 ख में निर्दिष्ट वाद या कार्यवाही में राज्य को प्रतिवादी या अनावेदक के रूप में संयोजित किया गया है या जहां न्यायालय आदेश 1 के नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य को प्रतिवादी या अनावेदक के रूप में संयोजित करने का आदेश दे, वहां ऐसे वाद या कार्यवाही को इस कारण खारिज नहीं किया जाएगा कि वादी या अनावेदक की ओर से उपधारा (1) के अधीन, सूचना जारी करने में लोप हुआ है”।

(4) यदि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 की उपधारा (2) के अधीन अत्यावश्यक अनुतोष मंजूर करने के लिए कोई वाद राज्य सरकार को सूचना तामील किए बिना फाइल किया जाता है, तो न्यायालय द्वारा कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जायेगी, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 2 के उपनियम (2) के परन्तुक (मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1984 द्वारा यथा अन्तः स्थापित) में है, जो कि निम्नानुसार है:—

परन्तु—

(क) जहां विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का सं. 47) की धारा 38 या धारा 41 के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए शाश्वत व्यादेश नहीं दिया जा सकता; या

(ख) राज्य के कामकाज के संबंध में लोक सेवा तथा पद पर नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व के या उसके नियंत्रणाधीन किसी भी कंपनी या निगम का कर्मचारी आता है, स्थानांतरण, निलंबन, रैंक में अवनति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदच्युति, सेवा से हटाया जाना या अन्यथा सेवा समाप्ति या उससे कार्यभार लेने संबंधी किसी आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिए; या

- (ग) राज्य के कामकाज के संबंध में लोक सेवा तथा पद पर नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व के या उसके नियंत्रणाधीन किसी भी कंपनी या निगम का कर्मचारी आता है, के विरुद्ध लंबित या की जा के लिए आशयित किसी अनुशासनिक कार्यवाही को या किसी प्रतिकूल प्रविष्टि के परिणाम को रोकने के लिए, य
- (घ) किसी निर्वाचन को अवरुद्ध करने के लिए, या
- (ङ) सरकार द्वारा किये जाने के आशयित किसी नीलाम को या किए गए किसी नीलाम के परिणाम को अवरुद्ध करने के लिए भू-राजस्व के तौर पर वसूली या किन्हीं शोध्यों की वसूली हेतु कार्यवाहियों को जब तक कि यथोचित प्रतिभूति न दी जाए, रोकने के लिए ऐसा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा, और उपबंधों के उल्लंघन के व्यादेश के लिए दिए गए कोई भी आदेश शून्य होगा.

(5) मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1984 द्वारा आदेश 39 के नियम 4 को भी संशोधित किया गया है ज निम्नानुसार है:—

“ व्यादेश के किसी भी आदेश को उस आदेश से असंतुष्ट किसी पक्षकार द्वारा न्यायालय से किए गए आवेदन पर उ न्यायालय द्वारा या उसकी स्वप्रेरणा से प्रभावोन्मुक्त, उसमें फेरफार या अपास्त किया जा सकेगा:

परन्तु यदि अस्थायी व्यादेश के लिए किसी आवेदन में या ऐसे आवेदन का समर्थन करने वाले किसी शपथ-पत्र में किस पक्षकार ने किसी तात्विक विशिष्ट के संबंध में जानते हुए मिथ्या या भ्रामक कथन किया है और विरोधी पक्षकार को सूचन दिए बिना व्यादेश दिया गया था तो न्यायालय आदेश को उस दशा में रद्द कर देगा, जिसमें वह अभिलिखित किए जां वाले कारणों से यह समझता है कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक नहीं है:

परन्तु यह और भी कि जहां किसी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् व्यादेश के लिए आदेश पारित किया गया है वहां ऐसे आदेश को उस पक्षकार के आवेदन पर तब तक प्रभावोन्मुक्त, उसमें फेरफार या अपास्त नहीं किये जाएगा, जब तक परिस्थितियों के अब बदल जाने से ऐसा प्रभावोन्मुक्त, फेरफार या अपास्त किया जाना आवश्यक न हुआ हो या जब तक न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि आदेश से उस पक्षकार को असम्यक् कष्ट हुआ है

परन्तु यह भी कि यदि वाद के किसी भी प्रक्रम पर न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह पक्षकार, जिसके पक्ष में व्यादेश का आदेश विद्यमान है कार्यवाही का किया जाना विलंबित कर रहा है या न्यायालय की कार्यवाही का अन्यथा दुरुपयोग कर रहा है तो वह व्यादेश के लिए आदेश को अपास्त करेगा”.

(6) यह ध्यान में रखा जाए कि धारा 80 के अधीन सूचना उस स्थिति में भी आवश्यक है जबकि किसी लोक अधिकारी के किस कृत्य को दुर्भावना से किया जाना अभिकथित हो. महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध चन्द्रकांत ए. आई. आर. 1977 सु. को. 148 के मामले में उच्चतम न्यायालय का संप्रेक्षण नीचे दिया गया है:—

“ धारा 80 की भाषा इस प्रकार है कि सूचना केवल सरकार के विरुद्ध ही नहीं दी जाएगी, किन्तु किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध भी ऐसे कार्य के बारे में, जिसका उसकी पदीय हैसियत में किया गया तात्पर्यित है, दी जाएगी. शब्द “कृत्य” का विस्तार अवैधानिक कार्य/लोप तर्क है और पदीय हैसियत में, अवैधानिक रूप से तथा दुर्भावना से किए गए कृत्यों और सद्भावनापूर्वक किए गए कृत्यों के बीच, कोई अन्तर नहीं किया जा सकता. ए. आई. आर 1831 कलकत्ता 61 और ए. आई. आर. 1927 प्रिवी काउंसिल 176 (पैरा 13 और 14) पर”.

164. प्रक्रिया, जब वाद सम्यक् सूचना के बिना फाइल किया गया है.—(1) जब सरकार या किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 द्वारा अपेक्षित की गई सूचना के सम्यक् रूप से तामील किए गए बिना या सूचन की तामील होने की तारीख से दो मास की कालावधि की समाप्ति के पूर्व लाया गया हो तो कलेक्टर (सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 की उपधारा (2) तथा (3) में अभिकथित अपवादों के अध्ययन करते हुए) इस आधार पर वाद को खारिज करने के लिये न्यायालय में समावेदन करेगा कि वह वाद उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में संस्थित किया गया है.

(2) यदि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 की उपधारा (2) तथा (3) में अनुध्यात कोई वाद फाइल किये जाने हेतु लाया जाता है और सूचना कलेक्टर या संबंधित अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है तो ऐसा अधिकारी तत्काल सरकारी प्लीडर के माध्यम से ऐसे अन्तरिम आवेदन का विरोध करेगा और संबंधित विभाग को अविलंब इसकी सूचना देगा.

165. प्रक्रिया, जब कोई सूचना केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध वाद से संबंधित हो.—(1) जब केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या अधिकारी के विरुद्ध दावा करने के लिए कोई सूचना कलेक्टर या शासन सचिव को संबोधित की जाए, तब उसे प्राप्त करने वाला अधिकारी संबंधित पक्षकार को यह सूचित करेगा कि सूचना सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 के उपबंधों के अनुसार नहीं है और कलेक्टर की गई कार्रवाई से विधि विभाग को भी सूचित करेगा।

(2) उन समस्त मामलों में, जहां शासन सचिव, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के किसी वाद की सूचना प्राप्त करता है तो सचिव सूचना प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार के इस दृष्टिकोण के साथ कि क्या वाद की विषय-वस्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यपालक प्राधिकार के भीतर आती है और यह कि यदि वाद लाया जाए, तो उसके प्रतिवाद के लिए क्या प्रबंध किया जाएगा, केन्द्रीय सरकार को संसूचित करेगा।

166. सूचना का पृष्ठांकित किया जाना और उसकी प्रति विधि विभाग को भेजना.— किसी ऐसे दावे का, जिसमें सरकार प्रारंभिक रूप से संबद्ध है सूचना प्राप्त होते ही वह अधिकारी, जिस पर वह तामील की गई है सूचना पर तारीख तथा उसे परिदत्त किए जाने की रीति पृष्ठांकित करेगा और इस प्रकार पृष्ठांकित की गई सूचना की प्रमाणित प्रति को मामले से संबंधित भारसाधक अधिकारी या ऐसे कार्यालय के जिला प्रमुख को, जिससे कि मामला संबंधित है आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अग्रेषित करेगा और उसकी एक प्रति विधि विभाग को पृष्ठांकित की जाएगी।

स्पष्टीकरण.— इस नियम तथा इस अध्याय के अन्य नियमों के प्रयोजनों के लिए, भारसाधक अधिकारी से अभिप्रेत है कार्यपालक अधिकारी, जो प्राथमिक रूप से मामले से संबद्ध है और जिसे मामले के तथ्यों का ज्ञान है, उदाहरणार्थ, लोक निर्माण विभाग में वह साधारण रूप से कार्यपालक इंजीनियर, वन विभाग में साधारण रूप से सभागीय वन अधिकारी होता है यदि विषय किसी विनिर्दिष्ट विभाग से संबंधित न हो तो कलेक्टर ही उसको निपटायेगा :

परन्तु सरकार, वाद के स्वरूप को, जैसा कि वह सूचना से प्रकट होता हो, ध्यान में रखते हुए उस वाद के प्रयोजन के लिए या संबंधित विभाग के प्रमुख या उसके किसी अन्य अधिकारी को भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

167. भारसाधक अधिकारी का कर्तव्य.—(1) सूचना के प्राप्त होने पर, भारसाधक अधिकारी तुरन्त ही मामले की सतर्कता से जांच करेगा और उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें अन्तर्विष्ट होंगी:—

- (क) मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों का वर्णनात्मक रूप में स्पष्ट कालक्रमानुसार (Chronological) विवरण, जिसमें उसके दोनों पक्षों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य का निर्देश दिया गया हो और दोनों में से किसी भी पक्ष के संबंध में मौखिक साक्ष्य को उपदर्शित किया गया हो;
- (ख) सूचना में उठाये गये समस्त विषय-बिन्दुओं का क्रमवार उत्तर देते हुए एक पृथक् विवरण;
- (ग) मामले से सुसंगत समस्त दस्तावेजों की प्रतियां;

(2) यदि भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि तथ्य जटिल तथा तकनीकी स्वरूप के हैं और राज्य सरकार इस पर अपनी सहमति देती है तो भारसाधक अधिकारी, दावेदार से यह अभिनिश्चित करेगा कि क्या वह माध्यस्थम अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 10) के अध्याय-दो के अनुसार विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट करने हेतु सहमत है। दावेदार को उस अध्याय के उपबंध तथा उस अधिनियम की पहली अनुसूची स्पष्ट रूप से समझा दी जाएगी और इसके मितव्ययी तथा शीघ्र गति होने के फायदों को भी बताया जायगा। यदि वह सहमत हो जाता है तो ऐसा विस्तृत प्रस्ताव, कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

168. पांच हजार रुपये से कम के दावों में समझौता करने के लिए प्रक्रिया.— जहां दावे का मूल्य पांच हजार रुपये से कम हो, वहां निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी:—

- (क) यदि भारसाधक अधिकारी की रिपोर्ट का परिशीलन करने पर कलेक्टर का यह विचार हो कि दावा पूर्णतः या अंशतः वास्तविक है, तो वह समस्त संबंधित कागज-पत्र सरकारी अभिभाषक को दावे के गुणागुण के संबंध में और इस बारे में भी कि क्या दावे में समझौता किया जाना चाहिए, अपनी राय देने के लिए अग्रेषित करेगा;
- (ख) यदि सरकारी अभिभाषक की राय पर विचार करने के पश्चात् कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि दावे में समझौता किया जाना चाहिए तो वह या तो स्वयं या भारसाधक अधिकारी के मार्फत ऐसे व्यक्ति से, जिसने वह सूचना दी है, समझौते के लिए बातचीत आरंभ करेगा। किन्तु यह बात ध्यान में रखी जायगी कि बातचीत यथासंभव मौखिक रूप से हो और वाद फाइल किये जाने की दशा में वह सरकार के अभिवचनों पर "प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली" न हो और यह बात सुस्पष्ट रूप से नय होना चाहिये कि किसी भी व्यवस्था पर सहमति समुचित प्राधिकारी की मंजूरी के अधधीन रहते हुए होगी।

- (ग) वह व्यक्ति, जिसने सूचना दी है, यदि अपने दावे का ऐसे निबन्धनों पर जैसे कलेक्टर को युक्तियुक्त प्रतीत हो, सौहार्दपूर्ण निपटारा करने का इच्छुक है तो कलेक्टर समस्त संबद्ध कागज-पत्रों के साथ सरकारी अभिभाषक की राय तथा अपनी सिफारिश संबंधित विभागाध्यक्ष को (इस अभिव्यक्ति का अर्थ, ऐसे विभाग के मामले में, जिसका पृथक् से कोई विभागाध्यक्ष नहीं है, उस विभाग के शासन सचिव के प्रति निर्देश से लगाया जाएगा) तत्काल भेजेगा।

टिप्पणी.—इस नियम के अधीन की जाने वाली समस्त कार्रवाई कलेक्टर द्वारा ऐसी सूचना की प्राप्ति के एक मास के भीतर की जाएगी।

- (घ) यदि विभागाध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि दावा वास्तविक है और उसमें समझौता ऐसे निबन्धनों पर जिनकी सिफारिश कलेक्टर द्वारा की गई है, किया जाय तो वह दावे का निपटारा करने का आदेश तत्काल जारी करेगा और कलेक्टर समझौते को कार्यान्वित करने के लिए तदनुसार कार्रवाई करेगा।

169. अन्य मामलों में प्रक्रिया.—कलेक्टर निम्नलिखित मामलों में, समस्त संबद्ध कागज-पत्रों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट, सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर समुचित विभाग में शासन सचिव को अग्रेषित करेगा:—

- (एक) जहां दावे का मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक है;
 (दो) जहां दावे का मूल्य पांच हजार रुपये से कम है और दावे का निपटारा नियम 168 के अधीन नहीं किया गया है;
 (तीन) जहां नियम 167 के उप नियम (2) के अधीन माध्यस्थम के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

170. सरकार के आदेश.—(1) समुचित विभाग का शासन सचिव मामले के परीक्षण और उसके गुणागुण के आधार पर अपनी राय लेखबद्ध करने के पश्चात् कागज-पत्र विधि विभाग को उसकी सलाह के लिए भेजेगा।

- (2) विधि विभाग मामले का परीक्षण करेगा और मामले में आवश्यक सलाह देगा।

(3) इसके पश्चात् समुचित विभाग का शासन सचिव भारसाधक मंत्री के आदेश प्राप्त करेगा और आवश्यक आदेश जारी करने के लिए विधि विभाग को समस्त कागज-पत्र भेजेगा।

171. प्रक्रिया, जहां आदेश में समझौता करने का निदेश हो.—जहां नियम 170 के अधीन आदेश में कलेक्टर को दावे में समझौता करने के लिए निदेश दिया गया है, वहां कलेक्टर या तो स्वयं या भारसाधक अधिकारी के मार्फत दावेदार के साथ समझौता के लिए बातचीत आरंभ करेगा। बातचीत ऊपर नियम 168 के उप नियम (2) में दी गई सावधानी के अधीन रहते हुए की जाएगी।

(ख) वादों के संस्थापन की पश्चात्वर्ती कार्यवाहियां.

172. आदेशिका की तामिली के लिए कलेक्टर का नियुक्त किये गये सरकारी अभिभाषक के रूप में होना.—सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 27 के नियम 4 और नियम 8 ख के खण्ड (ग) और आदेश 33 के नियम 6 और 9 के संदर्भ में राज्य सरकार ने, मध्यप्रदेश में के प्रत्येक राजस्व जिले के कलेक्टर को उन नियमों के प्रयोजन के लिए उस जिले का सरकारी अभिभाषक नियुक्त किया है।

173. भारसाधक अधिकारी को समंस का अंतरण.—जब सरकार के विरुद्ध किसी दावे के संबंध में उपस्थित होने और उत्तर देने हेतु कोई समंस कलेक्टर पर तामिल किया जाता है तो वह उसे तुरंत भारसाधक अधिकारी को पारेषित कर देगा।

174. भारसाधक अधिकारी का सरकार का मान्यता प्राप्त अधिकर्ता होना.— जब तक अन्यथा आदेश न हो, किसी वाद का भारसाधक अधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 1 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उस वाद के लिखित कथन को हस्ताक्षरित और सत्यापित करेगा। उक्त आदेश के नियम 2 के अधीन भारसाधक अधिकारी वाद में राज्य सरकार की ओर से पदेन रूप से कार्य करने के लिए भी अधिकृत है और मान्यता प्राप्त अधिकर्ता समझा जाएगा जो राज्य सरकार की ओर से उक्त संहिता के अधीन उपस्थित हो सकेगा, कार्य कर सकेगा और आवेदन कर सकेगा।

175. सरकारी अभिभाषक को नियुक्त करना.—भारसाधक अधिकारी द्वारा वाद प्रतिरक्षण हेतु सरकारी अभिभाषक नियुक्त करने के लिये कलेक्टर को समावेदन किया जाना चाहिए।

176. समन की प्राप्ति के पश्चात् रिपोर्ट.—(1) भारसाधक अधिकारी मामले पर अपनी रिपोर्ट सरकार को अधिलंब प्रस्तुत करेगा। नियम 167 के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट किसी बात को दोहराया जाना आवश्यक नहीं है, किन्तु उन समस्त बिन्दुओं का, यदि कोई हो, समावेश होना चाहिए, जो उसमें समाविष्ट होने से रह गए हों, उसमें वाद की सुनवाई की तारीख का उल्लेख भी होना चाहिए।

(2) रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित भेजे जाएंगे—

- (क) वादपत्र की प्रति;
- (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप;
- (ग) उन समस्त दस्तावेजों की सूची, जिन्हें साक्ष्य में फाइल करना प्रस्तावित है या न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है;
- (घ) ऐसे किन्हीं भी कागज-पत्रों की प्रतियां, जो कि मामले के विशदीकरण (Elucidation) के लिए आवश्यक हों;

(3) भारसाधक अधिकारी, मामले की तैयारी करने में सरकारी अभिभाषक को सभी संभव सहायता देगा और उसका यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह देखे कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने से न रह जाए।

177. रिपोर्ट पर सरकार के आदेश.—भारसाधक अधिकारी के रिपोर्ट प्राप्त होने पर विभाग उसे विधि विभाग को अग्रेषित करेगा। विधि विभाग मामले की संवीक्षा करेगा, लिखित विवरण का प्रारूप अनुमोदित करेगा और उसे संबंधित विभागाध्यक्ष को भेजेगा। आदेश विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक अनुदेशों सहित भारसाधक अधिकारी को संसूचित किये जायेंगे। विधि विभाग द्वारा मामले में अभिलिखित की गई टिप्पणियों को गोपनीय माना जायगा।

178. साक्ष्य प्रस्तुत करने का भारसाधक अधिकारी का उत्तरदायित्व.—(1) वाद के विचारण के दौरान भारसाधक अधिकारी, समस्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यतानुसार सरकारी प्लीडर की सहायता करेगा। विशिष्टतः वह यदि अपेक्षित मौखिक साक्ष्य उपलब्ध हो तो उसे अभिनिश्चित करेगा और सरकारी प्लीडर को ऐसा साक्ष्य विद्यमान होने की पूर्णरूप से जानकारी देता रहेगा।

(2) भारसाधक अधिकारी, वाद या अपील के पक्षकारों के ठौर-ठिकाने के बारे में पूरी जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा और यदि ऐसा वाद या अपील राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई है और यदि किसी प्रत्यर्थी की मृत्यु हो जाती है, तो वह अधिकारी उसे पक्षकार की मृत्यु के नब्बे दिन के भीतर उसके स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधि के रखे जाने के लिए तुरन्त कार्रवाई करेगा।

179. विधि विभाग से आगे और अनुदेश —(1) जब नियम 177 के अधीन एक बार आदेश जारी कर दिए गए हो तो सरकार के लिए तब तक और निर्देश करना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि—

- (क) कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेष अनुदेश अपेक्षित नहीं हों;
- (ख) माध्यस्थ के निर्देश के लिए प्रस्ताव किए गए हों; या
- (ग) वाद के समझौते के लिए प्रस्ताव किए गए हों।

(2) यद्यपि, सरकारी विभाग सरकारी प्लीडर को सलाह देने के लिए विधि परामर्शी से प्रार्थना कर सकेगा, किन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकारी प्लीडर उसको समनुदेशित मामलों के संचालन के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होंगे और इस नियम के अधीन निर्देश सामान्य अनुक्रम में नहीं किए जाने चाहिए।

180. वादों में ठीक समय में कार्रवाई के लिए भारसाधक अधिकारी और सरकारी प्लीडर का उत्तरदायित्व.—जहां किसी अन्तरवर्ती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिये याचिका फाइल किया जाना अपेक्षित हो, वहां भारसाधक अधिकारी और सरकारी प्लीडर यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि ठीक समय में कार्रवाई की गई है। अतएव, वह विभागाध्यक्ष के माध्यम से ऐसे आदेश की एक प्रति जैसे ही वह पारित हो, अपनी सिफारिशों के साथ सरकार को अग्रेषित करेगा।

181. वादों के परिणाम की रिपोर्ट.—जैसे ही वाद विनिश्चित हो जाए, भारसाधक अधिकारी या सरकारी प्लीडर विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को उसके परिणाम की रिपोर्ट करेगा, निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाना चाहिए और रिपोर्ट के साथ भेजी जानी चाहिए।

182. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, माध्यस्थम् अधिकरण और प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में नियमों का लागू होना.—नियम 175 से 181 तक के उपबंध मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, माध्यस्थम् अधिकरण तथा प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

183. मामले के भारसाधक अधिकारी का वैयक्तिक उत्तरदायित्व.—भारसाधक अधिकारी का वैयक्तिक उत्तरदायित्व होगा कि वह यह देखे कि मामला उचित रूप से संचालित किया जाता है और मामले में अपेक्षित साक्षी न्यायालय में साक्ष्य के लिए नियत तारीख पर यथासमय उपस्थित होते हैं. यदि न्यायालय में अपेक्षित किए गए सरकारी पदधारी उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो विधि विभाग को सूचना देते हुए विभागाध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया जायगा.

(2) भारसाधक अधिकारी की ओर से की गई कोई गलती एक अवचार समझी जाएगी तथा उसके कार्य या कार्य लोप के कारण सरकार को हुई हानि पूरा करना भारसाधक अधिकारी का वैयक्तिक उत्तरदायित्व होगा.

184. लंबित मामलों का नियतकालिक पुनर्विलोकन.— (1) प्रत्येक जिले का कलेक्टर, जिले के समस्त विभागों के जिला प्रमुखों और प्रत्येक मामले के भारसाधक अधिकारी की एक त्रैमासिक बैठक आयोजित करेगा और प्रत्येक मामले में की गई प्रगति का नियतकालिक पुनर्विलोकन करेगा तथा कार्रवाई की आगामी दिशा विनिश्चित करेगा.

(2) कलेक्टर द्वारा बैठक का कार्यवृत्त विधि विभाग को तथा संबद्ध विभागाध्यक्ष को बैठक की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा.

(3) प्रत्येक विभागाध्यक्ष भी अपने-अपने विभाग से संबंधित मामले की प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए त्रैमासिक बैठक आयोजित करेंगे तथा बैठक की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर विधि विभाग और अपने-अपने विभाग के सचिव को कार्यवृत्त प्रस्तुत करेंगे.

(4) इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात आपराधिक मामलों को लागू नहीं होगी.

अध्याय—चौदह—सरकार द्वारा वाद संस्थित करना

185. सरकार द्वारा वाद को संस्थित करने की मंजूरी—सरकार की ओर से कोई भी वाद सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा.

186. सौहार्द्रपूर्ण समझौते की वांछनीयता—(1) सरकार की ओर से वाद संस्थित करने के लिए तब तक सिफारिश नहीं करना चाहिए जब तक कि प्रस्तावित प्रतिवादी को अपना दृष्टिकोण कथित करने का और सौहार्द्रपूर्ण समझौते पर आने का पर्याप्त अवसर दे दिया हो.

(2) यद्यपि सरकार के अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वह सरकार के अधिकारों का प्रवर्तन और हितों का संरक्षण करें, फिर भी उन्हें न्यायालय का आश्रय तब तक नहीं लेना चाहिये, जब तक सौहार्द्रपूर्ण समझौते पर आने के समस्त प्रयत्न असफल न हो जायें.

187. प्रारम्भिक विभागीय जांच.—कोई वाद संस्थित किए जाने की सिफारिश करने के पूर्व प्रथमतः सरकार की ओर से मामले के विभागीय तौर पर जांच की जाएगी और उन समस्त बिन्दुओं के, जिन पर प्रतिवाद किए जाने की संभावना है, साक्ष्य सुनिश्चित किए जायेंगे.

188. वाद की सिफारिश की जाने पर रिपोर्ट—जब कभी सरकार के किसी अधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि सरकार के ओर से वाद संस्थित किया जाना चाहिये तो वह मामले की सम्पूर्ण रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार के आदेशों के लिए प्रस्तुत करेगा.

189. रिपोर्ट की अंतर्वस्तुएं.—रिपोर्ट में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी—

- (क) उन तथ्यों और परिस्थितियों का, जो उसकी राय में वाद संस्थित करने के लिये आवश्यक है तथा उनमें से प्रत्येक का जब और जहां घटित हुई हो, स्पष्टतः कालक्रमानुसार विवरण;
- (ख) समस्त मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्य का, जिनके द्वारा दावे का समर्थन किया जा सकता हो, स्पष्ट विवरण;
- (ग) उन लिखित दस्तावेजों की, यदि कोई हो, जिन पर दावा आधारित है, प्रतियां तथा कोई अन्य कागज पत्र, जिनको मामले के विशदीकरण के लिये आवश्यक माना गया हो;
- (घ) अभिवाक् (Pleas) या आक्षेप, यदि कोई हो, जिन्हें प्रस्तावित प्रतिवादी द्वारा दावे के विरुद्ध बताया गया है;
- (ङ) मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्य, जिन्हें प्रस्तावित प्रतिवादी प्राप्त (Procure) करने में समर्थ हो और उसकी प्रतिरक्ष में दिए जाने की संभावना हो; और
- (च) कोई अन्य सारवान तथ्य अर्थात् प्रस्तावित प्रतिवादी की परिस्थितियां, दावाकृत रकम के अलावा वाद संस्थित करने के लिये कोई शेष कारण, क्या उसके विनिश्चय से अन्य दावे प्रभावित होंगे और इसी प्रकार के तथ्य.

190. रिपोर्ट पर सरकार के आदेश.—संबद्ध विभाग के सचिव के माध्यम से रिपोर्ट पर सरकार के आदेश विधि विभाग से प्राप्त किए जाएंगे. विधि विभाग द्वारा ऐसे किन्हीं अनुदेशों के साथ, जो कि आवश्यक समझे जाएं, आदेश विभागाध्यक्ष को संसूचित किये जाएंगे और विभागाध्यक्ष उन आदेशों को उनमें विनिर्दिष्ट वाद के भारसाधक अधिकारी को प्रेषित करेगा. मामले में विधि विभाग द्वारा अभिलिखित टिप्पणी को गोपनीय माना जाएगा.

191. सरकारी अभिभाषक की नियुक्ति.—(1) यदि सरकार वाद संस्थित करने का विनिश्चय करती है तो भारसाधक अधिकारी को चाहिये कि वह सरकार की ओर से सरकारी अभिभाषक नियुक्त करने के लिए कलेक्टर को समावेदन करें.

(2) कठिन मामलों में सरकारी अभिभाषक को नियम 187 में अनुध्यात जांच में या नियम 188 और 189 के अधीन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करने के लिये नियुक्त किया जा सकेगा.

192. वादपत्र के प्रारूप का प्रस्तुत किया जाना.—वाद संस्थित किए जाने के पूर्व वादपत्र के प्रारूप को नियम 197 में निर्दिष्ट कागजपत्रों सहित विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा.

193. वादपत्र भारसाधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा.—वादपत्र विधि विभाग द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किए जाने और भारसाधक अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने के पश्चात् भारसाधक अधिकारी वादपत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उसका सत्यापन करेगा तथा नियम 174 में वर्णित अन्य कृत्यों का भी निर्वहन करेगा.

194. आगे की प्रक्रिया—वाद के संस्थित किए जाने के पश्चात् अध्याय तेरह के नियम 178 से 181 तक के उपबंधों का, जहां तक कि वे लागू हों, अनुसरण किया जाएगा.

अध्याय—पन्द्रह—न्यायालयों में अभिवचन, पक्षसार की तैयारी और मामले के संचालन के लिये भारसाधक अधिकारी और सरकारी काउन्सेल के मार्गदर्शन के लिये सामान्य अनुदेश

(क) अभिवचन की तैयारी के लिये सामान्य नियम

195. सरकारी अभिभाषक की परिभाषा.—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये इन नियमों के नियम 2 के खण्ड (तीन) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी वाद के संबंध में "सरकारी अभिभाषक" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है कोई ऐसा काउन्सेल जिसे सरकार की ओर से काउन्सेल नियुक्त किया गया है.

196. अभिवचन एवं अपील ज्ञापन.—(1) जब प्रारूप अभिवचन और अपील के ज्ञापन की तैयारी की जा रही हो, तब मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम और आदेश (सिविल) के नियम 10, 11, 12, 14 और 15 प्रगणित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए.

(2) उन दस्तावेजों की जिनके सबूत पर, वादी स्वयं के दावे में निर्भर करता है प्रतियों को यथास्थिति, वाद-पत्र या लिखित विवरण के साथ फाइल किया जाना चाहिए. [सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7 नियम 14 (1)]

(3) जहां पक्षकार अपने दावे के समर्थन में किन्हीं दस्तावेजों पर, जो चाहे उसके कब्जे में या शक्ति में हों या न हों, साक्ष्य के रूप में निर्भर करता है, वहां वाद-पत्र या कथन के साथ जोड़े या उपाबद्ध किए जाने वाले ऐसे दस्तावेज सूची में प्रगणित किए जाएंगे.

197. अभिवचन के प्रारूप से संलग्न महत्वपूर्ण कागज.—विधि विभाग को प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वाद-पत्र के प्रारूप या लिखित कथन के प्रारूप के साथ जहां तक संभव हो उन समस्त दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाएंगी जिन पर निर्भर करना आशयित हो, और प्रत्येक मामले में प्रत्येक मूल दस्तावेज पर स्टाम्प के मूल्य और यह तथ्य कि क्या वे रजिस्ट्रीकृत हैं या नहीं, स्पष्ट रूप से कथन किया जाना चाहिए. उसके साथ किन्हीं प्रस्तावित परिप्रश्नों की प्रतियां तथा एक ऐसी सूची भी जिसमें उन दस्तावेजों का स्पष्ट विवरण होगा, जिन्हें पेश करने के लिये विरोधी पक्षकार से कहा जाना है, संलग्न किया जाना चाहिए.

(ख) पक्षसार

198. विषय वस्तु.—जब किसी वाद के संस्थित करने या उसकी प्रतिरक्षा के लिये आदेश पारित किए गए हों तब विधि विभाग द्वारा यथासंशोधित और अनुमोदित वाद-पत्र या लिखित कथन के एक प्रारूप को मामले के वृतांत तथा अन्य संबद्ध कागज-पत्रों के साथ संलग्न करके समस्त कागज-पत्र और उसके साथ उनकी सूची सभी को संख्यांकित किया जाएगा तथा सभी को एक साथ इकट्ठे बांधा जाएगा तथा उनको भारसाधक अधिकारी को सूचना के अधीन कलेक्टर के माध्यम से सरकारी अभिभाषक को प्रेषित किया जाएगा. यह सब कागज-पत्र मिलकर मामले का संचालन करने वाले सरकारी अभिभाषक का पक्षसार कहलाएंगे. मामले के संचालन के संबंध में पश्चात्पूर्ति अभिवचनों की ओर विधि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों की प्रतियां पक्षसार के साथ रखी जाएंगी और उसका भाग बन जाएंगी.

199. विधि विभाग की अनुमति के बिना अभिवचन में संशोधन नहीं होगा.—विधि विभाग द्वारा अनुमोदन के पश्चात् अभिवचन में साधारणतः कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जाएगा. कलेक्टर या सरकारी अभिभाषक यदि कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक समझे तो पक्षसार विधि विभाग के आदेश के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा. यदि पक्षसार की पुनः प्रस्तुति के लिए समय न हो तो अभिवचन में किए गए ऐसे किन्हीं परिवर्तनों या परिवर्धनों की रिपोर्ट तुरन्त विधि विभाग को की जाएगी.

200. सरकारी अभिभाषक और भारसाधक अधिकारी के कर्तव्य.—(1) भारसाधक अधिकारी और सरकारी अभिभाषक को, राज्य सरकार का इस निमित्त पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, सरकार की ओर से मामले में समझौता करने की शक्ति नहीं होगी.

(2) न्यायालय में फाइल करने के लिए किसी सरकारी अभिभाषक को दिया गया वकालतनामा नियमावली से संलग्न प्रारूप में होगा.

(3) किसी सरकारी अभिभाषक को दिया गया कोई भी वकालतनामा उसे सरकार की ओर से मामले में समझौता करने के लिए या न्यायालय में जमा की गई कोई डिक्रीत रकम का प्रत्याहरण करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा. यदि वकालतनामा के मानक प्रारूप का प्रयोग नहीं किया गया हो तो भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उसमें से काउन्सेल को मामले को समझौता करने के लिए या न्यायालय से डिक्रीत रकम का प्रत्याहरण करने के लिए प्राधिकृत करने वाले भागों को काट दें.

201. आपातक मामले.—उन मामलों में, जिनमें तुरन्त कार्यवाही आवश्यक हो, कलेक्टर किसी वाद को तुरन्त संस्थित करने या सरकारी अभिभाषक द्वारा लिखित कथन फाइल करने के निर्देश देने के लिये सक्षम होगा और अविलम्ब उन परिस्थितियों, जिनके कारण उपयुक्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया था, को स्पष्ट करते हुए, कागज पत्र विधि विभाग को अग्रप्रेषित करेगा.